2017 का विधेयक संख्यांक 225

[दि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेज (सैलरीज एंड कंडिसंस आफ सर्विस) अमेंडमेंट बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2017

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम, 2017 है ।

(2) धारा 2, धारा 5, धारा 6 और धारा 9, 1 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी । धारा 3 और धारा 7, 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी । धारा 4 और धारा 8, 22 सितंबर, 2017 से प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी ।

अध्याय 2

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 का संशोधन

धारा 13क का संशोधन ।

2. उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम कहा गया है) की धारा 13क में,-- 1954 का 28

(क) उपधारा (1) में, "नब्बे हजार रुपए प्रति मास" शब्दों के स्थान पर "दो लाख पचास हजार रुपए प्रति मास" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, "अस्सी हजार रुपए प्रति मास" शब्दों के स्थान पर "दो लाख पच्चीस हजार रुपए प्रति मास" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 22क का संशोधन ।

3. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 22क की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(2) यदि कोई न्यायाधीश सरकारी निवास का उपयोग नहीं करता है तो उसे प्रतिमास वेतन के चौबीस प्रतिशत की रकम के बराबर का भत्ते के रूप में संदाय किया जा सकेगा, जिसमें,--

(क) सत्ताईस प्रतिशत की दर से वृद्धि कर दी जाएगी, जब महंगाई भत्ता पच्चीस प्रतिशत को पार कर लेगा ;

(ख) तीस प्रतिशत की दर से वृद्धि कर दी जाएगी, जब महंगाई भत्ता पचास प्रतिशत को पार कर लेगा ।"

धारा 22ग का संशोधन ।

4. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 22ग में "पन्द्रह हजार" और "बारह हजार" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "चौंतीस हजार" और "सत्ताईस हजार" शब्द रखे जाएंगे ।

प्रथम अनुसूची का संशोधन ।

5. उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की प्रथम अनुसूची में,--

(क) भाग 1 के पैरा 2 में,--

(अ) खंड (क) में "तैंतालीस हजार आठ सौ नब्बे रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक लाख इक्कीस हजार पांच सौ पचहत्तर रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) खंड (ख) में "चौंतीस हजार तीन सौ पचास रुपए" शब्दों के स्थान पर "छियानवे हजार, पांच सौ चौबीस रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(इ) परंतुक में "पांच लाख चालीस हजार रुपए" और "चार लाख अस्सी हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर क्रमशः, "पन्द्रह लाख रुपए" और "तेरह लाख पचास हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) भाग 3 के पैरा 2 में,--

(अ) खंड (ख) में "सोलह हजार बीस रुपए" शब्दों के स्थान पर "पैंतालीस हजार सोलह रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) परंतुक में "पांच लाख चालीस हजार रुपए" और "चार लाख अस्सी

हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर क्रमशः, "पन्द्रह लाख रुपए" और "तेरह लाख पचास हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

अध्याय 3

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 का संशोधन

1958 का 41

धारा 12क का संशोधन ।

6. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम कहा गया है) की धारा 12क में,--

(क) उपधारा (1) में, "एक लाख रुपए प्रति मास" शब्दों के स्थान पर "दो लाख अस्सी हजार रुपए प्रति मास" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, "नब्बे हजार रुपए प्रति मास" शब्दों के स्थान पर "दो लाख पचास हजार रुपए प्रति मास" शब्द रखे जाएंगे ;

धारा 23 का संशोधन ।

7. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1क)) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(1क) यदि कोई न्यायाधीश सरकारी निवास का उपयोग नहीं करता है तो उसे प्रतिमास वेतन के चौबीस प्रतिशत की रकम के बराबर का भत्ते के रूप में संदाय किया जा सकेगा, जिसमें,--

(क) सत्ताईस प्रतिशत की दर से वृद्धि कर दी जाएगी, जब महंगाई भत्ता पच्चीस प्रतिशत को पार कर लेगा ;

(ख) तीस प्रतिशत की दर से वृद्धि कर दी जाएगी, जब महंगाई भत्ता पचास प्रतिशत को पार कर लेगा ।"

धारा 23ख का संशोधन ।

8. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 23ख में, "बीस हजार" और "पन्द्रह हजार" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "पैंतालीस हजार" और "चौंतीस हजार" शब्द रखे जाएंगे ।

अनुसूची का संशोधन ।

9. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की अनुसूची में,--

(क) भाग 1 के पैरा 2 में,--

(अ) खंड (ख) में, "बारह हजार एक सौ अस्सी रुपए", "तीन लाख उनहत्तर हजार तीन सौ रुपए" और "इकतीस हजार तीस रुपए" शब्दों के स्थान पर क्रमशः, "चौंतीस हजार एक सौ चार रुपए", "दस लाख चौंतीस हजार चालीस रुपए" और "छियासी हजार आठ सौ चौरासी रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) परंतुक में "छह लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर "सोलह लाख अस्सी हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ई) पैरा 3 के परंतुक में, "पांच लाख चालीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "पंद्रह लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) भाग 3 के पैरा 2 में,--

(अ) खंड (ख) में "सोलह हजार बीस रुपए" शब्दों के स्थान पर "पैंतालीस हजार सोलह रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) परंतुक में "छह लाख रुपए" और "पांच लाख चालीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर क्रमशः, "सोलह लाख अस्सी हजार रुपए" और "पन्द्रह लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

उद्देश्यों और कारणों का कथन

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतनों, भत्तों और पेंशनों को अंतिम बार 1 जनवरी, 2006 से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम, 2009 द्वारा पुनरीक्षित किया गया था । सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनों और भत्तों तथा पेंशन संबंधी फायदों में पुनरीक्षण की सिफारिश की है । सरकार ने आयोग की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और आदेश जारी कर दिए हैं । पुनरीक्षित पेंशन नियम 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी हो गए हैं ।

2. सरकार द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिए जाने पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनों, भत्तों तथा पेंशनों में वृद्धि के कारण उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतनों, भत्तों और पेंशन में वृद्धि करना आवश्यक हो गया है ।

3. उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2017 न्यायाधीशों के वेतनों को 1 जनवरी, 2016 से निम्नलिखित रूप में पुनरीक्षित किए जाने के लिए है :--

भारत का मुख्य न्यायमूर्ति	- 1,00,000 रुपए प्रति मास से 2,80,000 रुपए प्रति मास
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश	- 90,000 रुपए प्रति मास से 2,50,000 रुपए प्रति मास
उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति	- 90,000 रुपए प्रति मास से 2,50,000 रुपए प्रति मास
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	- 80,000 रुपए प्रति मास से 2,25,000 रुपए प्रति मास ;

विधेयक 1 जुलाई, 2017 से मकान किराया भत्ते की दरों को और 22 सितंबर, 2017 से सत्कार भत्ते की दरों को पुनरीक्षित किए जाने के लिए भी है ।

4. उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन की दरों में अंतिम बार उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम, 2009 द्वारा 1 जनवरी, 2006 से वृद्धि की गई थी । सातवें वेतन आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन संबंधी फायदों में पुनरीक्षण की सिफारिश की है । पुनरीक्षित पेंशन नियम 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी हो गए हैं । अत: उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की विद्यमान पेंशन और अधिकतम पेंशन में उपयुक्त रूप से वृद्धि करना आवश्यक हो गया है ।

5. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पेंशन भोगियों और कुटुम्ब पेंशन भोगियों की आयु के प्रतिनिर्देश से पेंशन और कुटुम्ब पेंशन की अतिरिक्त रकम अनुदत्त करने का विनिश्चय किया है । उसी के सादृश्य आधार पर सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए समान प्रसुविधाओं के विस्तार का विनिश्चय किया गया है ।

6. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
11 दिसंबर, 2017

रविशंकर प्रसाद

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 में संशोधन करने के लिए है जिससे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतनों को पुनरीक्षित किया जा सके ।

2. विधेयक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन, कुटुंब पेंशन और सत्कार भत्ते को पुनरीक्षित करने के लिए भी है ।

3. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की बाबत अतिरिक्त व्यय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 290 के अधीन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा । यदि यह विधेयक अधिनियमित हो जाता है और प्रवृत्त कर दिया जाता है तो इसमें भारत की संचित निधि से लगभग बीस करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय, जिसमें से वेतन के संदाय के लिए 12 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय और वेतन, पेंशन और कुटुम्ब पेंशन के बकायों के मद्दे अनावर्ती व्यय के रूप में आठ करोड़ रुपए अंतर्वलित होंगे ।

4. विधेयक में आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई अन्य व्यय अंतर्वलित नहीं है ।

उपाबंध

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 28) से उद्धरण

* * * * * *

अध्याय 3

वेतन और पेंशन

न्यायाधीशों के वेतन ।

13क. (1) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को वेतन के रूप में नब्बे हजार रुपए प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।

(2) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन के रूप में अस्सी हजार रुपए प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।

* * * * * *

किराया-मुक्त मकानों की सुविधा ।

22क. (1) * * * * *

(2) यदि कोई न्यायाधीश सरकारी निवास का उपयोग नहीं करता है, तो उसे प्रतिमास वेतन के तीस प्रतिशत की रकम के बराबर का संदाय भत्ते के रूप में किया जा सकेगा ।

* * * * * *

सत्कार भत्ता ।

22ग. प्रत्येक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति और प्रत्येक अन्य न्यायाधीश क्रमशः पंद्रह हजार रुपए प्रति मास और बारह हजार रुपए प्रति मास सत्कार भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा ।

* * * * * *

प्रथम अनुसूची

(धारा 14 और धारा 15 देखिए)

न्यायाधीशों की पेंशन

भाग 1

* * * * * *

2. इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी न्यायाधीश को, जिसे यह भाग लागू होता है संदेय पेंशन,–

(क) किसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधिपति के रूप में सेवा के लिए, सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए तैंतालीस हजार आठ सौ नब्बे रुपए प्रतिवर्ष होगी ;

(ख) किसी उच्च न्यायालय में किसी अन्य न्यायाधीश के रूप में सेवा के लिए सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए चौंतीस हजार तीन सौ पचास रुपए प्रतिवर्ष होगी ;

परन्तु इस पैरा के अधीन पेंशन किसी भी दशा में, किसी मुख्य न्यायाधिपति की दशा में पांच लाख चालीस हजार रुपए प्रतिवर्ष और किसी अन्य न्यायाधीश की दशा में चार लाख अस्सी हजार रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी ।

* * * * * *

भाग 3

* * * * * *

2. ऐसे न्यायाधीश को संदेय पेंशन–

* * * * * *

(ख) पेंशन के लिए सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष की बाबत सोलह हजार बीस रुपए वार्षिक की विशेष अतिरिक्त पेंशन होगी,

परन्तु खंड (क) के अधीन पेंशन और खंड (ख) के अधीन अतिरिक्त पेंशन, एक साथ मिलकर किसी भी दशा में, किसी मुख्य न्यायाधिपति की दशा में पांच लाख चालीस हजार रुपए प्रति वर्ष और किसी अन्य न्यायाधीश की दशा में चार लाख अस्सी हजार रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी ।

* * * * * *

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्यांक 41) से उद्धरण

* * * * * *

अध्याय 3

वेतन और पेंशन

न्यायाधीशों के वेतन ।

12क. (1) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को वेतन के रूप में एक लाख रुपए प्रति मास संदाय किया जाएगा ।

(2) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन के रूप में नब्बे हजार रुपए प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।

* * * * * *

किराया-मुक्त मकानों की सुविधाएं और सेवा की अन्य शर्तें ।

23. (1) * * * * *

(1क) यदि कोई न्यायाधीश सरकारी मकान का उपयोग नहीं करता है तो उसे उसके वेतन के तीस प्रतिशत की रकम के बराबर प्रतिमास भत्ते का संदाय किया जा सकेगा ।

* * * * * *

सत्कार भत्ता ।

23ख. मुख्य न्यायमूर्ति और प्रत्येक अन्य न्यायाधीश क्रमश: बीस हजार रुपए प्रति मास और पंद्रह हजार रुपए प्रति मास सत्कार भत्ता पाने का हकदार होगा ।

* * * * * *

अनुसूची

(धारा 13 और 14 देखिए)

न्यायाधीशों की पेंशनें

भाग 1

* * * * * *

2. इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे मुख्य न्यायाधिपति को, जिसे यह भाग लागू होता है संदेय पेंशन की रकम वह होगी जो निम्नलिखित रकमों के योग के बराबर हो, अर्थात्–

* * * * * *

(ख) उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के रूप में सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए बारह हजार एक सौ अस्सी रुपए प्रति वर्ष की अतिरिक्त रकम, जब तक कि वह तीन लाख उनहत्तर हजार तीन सौ रुपए प्रति वर्ष की पेंशन पाने का हकदार नहीं हो जाता, और उसके पश्चात् ऐसी सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए इकतीस हजार तीन सौ रुपए की अतिरिक्त रकम: 1954 का 28

परंतु उसकी पेंशन की कुल रकम किसी भी दशा में छह लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी ।

3. किसी अन्य न्यायाधीश को, जिसे यह भाग लागू होता है, संदेय पेंशन वह रकम होगी जो उस पेंशन के बराबर हो जो उसे उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की प्रथम अनुसूची के भाग 1 के मापमान और उपबंधों के अनुसार संदेय होती यदि वह सेवा न्यायाधीश के रूप में किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के रूप में की गई सेवा होती : 1954 का 28

परन्तु इस पैरा के अधीन पेंशन किसी भी दशा में [1][पांच लाख चालीस हजार रुपए] प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी ।

* * * * * *

भाग 3

* * * * * *

2. ऐसे न्यायाधीश को संदेय पेंशन,—

* * * * * *

(ख) पेंशन के लिए भारत में न्यायाधीश के रूप में सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष की बाबत सोलह हजार बीस रुपए वार्षिक की विशेष अतिरिक्त पेंशन होगी :

परंतु खंड (क) के अधीन पेंशन और खंड (ख) के अधीन अतिरिक्त पेंशन, एक साथ मिलकर किसी भी दशा में, किसी मुख्य न्यायाधिपति की दशा में छह लाख रुपए प्रतिवर्ष और किसी अन्य न्यायाधीश की दशा में पांच लाख चालीस हजार रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी ।

GMGIPMRND—2843LS(CRC)—14-12-2017.